



ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना

सेवा में,

महोदय/ महोदया,

“कर्मचारी आवास, किदवई नगर के 8 फ्लैटों में फ्लश दरवाजे उपलब्ध कराने और लगवाने का कार्य” हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। ई-निविदा की प्रक्रिया एमएसटीसी लि० के ई-निविदा पोर्टल

(<http://mstcecommerce.com/eprocn>) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों/ एजेंसियों/ फर्मों को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऊपर उल्लिखित वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लि. में पंजीकरण करना होगा। ई-निविदा की समय-सारणी निम्नानुसार है:

ई-निविदा सं.	आरबीआई/कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/5/26-27/ईटी/211
ए) अनुमानित लागत	Rs. 7,75,800/- (रु. सात लाख पचहत्तर हजार आठ सौ मात्र) (18% की दर से जीएसटी सहित)
बी) ई-निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से ऑन-लाइन भाग I - टेक्नो-कमर्शियल बोली और भाग II - मूल्य बोली)
सी) ई-निविदा का प्रकार	सीमित (केवल उन्हीं फर्मों के लिए जो 5 लाख रुपये से ऊपर एवं 50 लाख रुपये तक की श्रेणी के सिविल कार्यों हेतु भा.रि.बैं., कानपुर में सूचीबद्ध हैं)
डी) डाउनलोड हेतु पक्षकारों के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	14 जुलाई 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
ई) बोली- पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	04 अगस्त 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे से स्थान: संपदा विभाग, द्वितीय तल, भारतीय रिज़र्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
एफ़) बयाना जमा राशि एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करेंगे।	शून्य
जी) ई-निविदा शुल्क	शून्य
एच) वेबसाइट http://mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	07 अगस्त 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
आइ) ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17 अगस्त 2026, अपराह्न 3:00 बजे तक

जे) टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के बंद होने की तिथि	17 अगस्त 2026, अपराह्न 3:00 बजे
के) भाग-I (अर्थात् टेक्नो-कमर्शियल बोली) के खुलने की तिथि और समय	17 अगस्त 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
भाग-II अर्थात् मूल्य बोली के खुलने की तिथि और समय	17 अगस्त 2026, अपराह्न 3:30 बजे से
एल) ई-निविदा की वैधता	टेक्नो-कमर्शियल बोली के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक
एम) लेन-देन शुल्क (अप्रतिदेय) (ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी को अलग से प्रस्तुत किया जाना है)	As per MSTC

2. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपेक्षित पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और उनके ऐसा करने में विफल रहने की दशा में बैंक के पास उनकी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बयाना जमा राशि के बिना ई-निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

3. बैंक सबसे कम बोली की निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। बैंक के पास यह भी अधिकार सुरक्षित है कि वह बगैर कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार कर सकता है।

4. यदि निविदा के संबंध में भविष्य में कोई संशोधन/ शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो उसे उपरोक्तानुसार केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और उसे समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कानपुर

कवर पेज

भाग I

**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर**

(नियम और शर्तें और तकनीकी विनिर्देश)

**केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना
हेतु ई-निविदा**

आरबीआई/कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/5/26-27/ईटी/211

_____ को जारी

जमा करने की अंतिम तिथि: 17 अगस्त, 2026, दोपहर 3:00 बजे तक।

खुलने की तिथि: 17 अगस्त, 2026, दोपहर 3:00 बजे से

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण)

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर ने इच्छुक पार्टियों को काम के बारे में शुरुआती जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार की ओर से इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी या दावा (साफ़ तौर पर या परोक्ष रूप से) नहीं किया जाता है।

यह जानकारी पूरी या अंतिम नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी खुद की जांच-पड़ताल करनी चाहिए। इस ई-टेंडर में भाग लेने वालों को अपनी जांच-पड़ताल खुद करनी चाहिए और उन्हें केवल खाली ई-टेंडर दस्तावेज़ों/फ़ॉर्म में दी गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर भाग लेने वाले उचित जांच-पड़ताल नहीं करते हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

यह जानकारी इस आधार पर दी जा रही है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाए, प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन (संरचना) में बदलाव करे, इस दस्तावेज़ में बताए गए समय-सारणी में बदलाव करे या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली को बदले। उसके पास रुचि दिखाने वाली किसी भी पार्टी के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है। रुचि दिखाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर**

विषय-सूची

ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना	1
कवर पेज	3
अस्वीकरण	Error! Bookmark not defined.
विषय-सूची	5
ई-टेंडर का फॉर्म	6
करारनामा	9
खंड ए: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें	Error! Bookmark not defined.
खंड बी: सुरक्षा कोड	Error! Bookmark not defined.
खंड सी: अग्नि सुरक्षा कोड	Error! Bookmark not defined.
खंड डी: यहां पहले संदर्भित शर्तें	Error! Bookmark not defined.
खंड ई: विशेष शर्तें	40
अनुलग्नक- I: संदर्भित पूर्व में परिशिष्ट	42
अनुलग्नक- II: ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	44
अनुलग्नक- III: निविदाकर्ता के बैंकों का विवरण	48
अनुलग्नक- IV: ईएमडी के लिए लेनदेन विवरण	49
अनुलग्नक- V: अनुमोदित सामग्रियों की सूची	50
मापन के विनिर्देश और मोड	
भाग II	53

ई-टेंडर का फॉर्म

प्रति,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
संपदा विभाग,
कानपुर

महोदय,

इसके बाद ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, चित्रों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद और ई-निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच करने के बाद, हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की आपूर्ति और निष्पादन की पेशकश करते हैं। ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में ई-निविदा की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित रूप में निर्देशों के साथ, 'करार, विशेष शर्तें, मात्रा और अनुबंध की शर्तों की सूची और ऐसी सामग्री के साथ जो इसके लिए प्रदान की जाती हैं, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

ई-निविदा सं.	आरबीआई/कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/5/26-27/ईटी/211
a) अनुमानित लागत	7,75,800/- (Rupees Seven lakh seventy-five thousand eight hundred only)
बी) ई-टेंडर का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - http://mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से मूल्य बोली
सी) ई-टेंडर का प्रकार	सीमित (केवल उन्हीं फर्मों के लिए जो 5 लाख रुपये से ऊपर एवं 50 लाख रुपये तक की श्रेणी के सिविल कार्यों हेतु भा.रि.बैं., कानपुर में सूचीबद्ध हैं)
डी) पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	14 जुलाई, 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
ई) प्री-बिड मीटिंग (ऑफलाइन)	04 अगस्त, 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे से स्थान: संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश -208001

एफ़) एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी और निर्धारित प्रारूप में एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें (अनुलग्नक IV देखें)	शून्य
(जी) ई-निविदा शुल्क	शून्य
एच) ऑनलाइन http://mstcecommerce.com/eprocn पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तिथि	07 अगस्त, 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
आई) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	17 अगस्त, 2026 से अपराह्न 3:00 बजे तक
जे) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	17 अगस्त, 2026, 3:00 बजे
के) भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	17 अगस्त, 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
भाग II यानी मूल्य बोली के खुलने की तिथि और समय	17 अगस्त, 2026, अपराह्न 3:30 बजे से
एल) ई-टेंडर की वैधता	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
एम) लेनदेन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) (ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी को अलग से भुगतान किया जाना है)	एमएसटीसी के अनुसार

2. यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा अनुबंध की उक्त शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या चूक की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

3. हमारे बैंकर हैं (पूरा पता)

(i)	
(ii)	

हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं:

(i)	
(ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार का नाम	
या	

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति का नाम (मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
---	--

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते

	हस्ताक्षर	पते
(i)		
(ii)		

करारनामा / Articles of Agreement

(₹100/- स्टाम्प पेपर पर) / (On ₹100/- stamp paper)

(केवल सफल बोलीकर्ता हेतु) / (Only for successful bidder)

यह करार वर्ष.....के..... वें दिन एक पक्ष के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है) और दूसरे पक्ष _____ (जिन्हें इसके बाद "संविदाकर्ता/ठेकेदार" कहा गया है) के बीच निष्पादित किया गया।

ARTICLES OF AGREEMENT made the _____ day of _____ between the Reserve Bank of India, KANPUR (hereafter called "The Bank") of the one part and _____ (thereinafter called "the Contractor") of the other part.

जबकि बैंक 'कर्मचारी आवास, किदवई नगर के 8 फ्लैटों में फ्लश दरवाजे लगवाने का कार्य' कार्य कराने का इच्छुक है और विनिर्देश तैयार किए हैं जिसमें किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है।

और जबकि उक्त विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची पर उनके द्वारा अथवा पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS The Bank is desirous of getting the work "केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना " and has caused specifications describing the works to be done.

AND WHEREAS the said specifications, the Schedule of Quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और जबकि बोलीकर्ता इसमें निर्धारित की गई शर्तों और संविदा की विशेष शर्तों और मात्रा अनुसूची में उल्लिखित की गई शर्तों तथा यथा संशोधित एवं अंतिम रूप से दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत संविदा की शर्तों (जिन्हें समग्रतः इसके बाद "कथित शर्तें" कहा गया है) में निहित शर्तों के अधीन बैंक की उक्त अपेक्षा और /अथवा कथित विनिर्देश में उल्लिखित कार्य और मात्रा-अनुसूची में शामिल कार्य को निष्पादित करने हेतु सहमत है जिसे वह उक्त में तय की गई राशि के अनुसार अथवा उसके अधीन देय होने वाली राशि के अनुसार निर्धारित दर (जिसे इसके बाद 'कथित संविदा राशि' कहा गया है) पर करेगा।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject to the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special Conditions and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said specification and included in the Schedule of Quantities at the respective rates therein set forth amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there-under (hereinafter referred to as 'the said Contract Amount')

अतः अब उनके बीच निम्नलिखित रूप से करार किया जाता है :-

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. निर्धारित शर्तों में उल्लिखित समय और तरीके से संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए, बोलीकर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार और उनके अधीन निविदा विनिर्देशों में और मात्रा अनुसूची में यथा उल्लिखित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

In considerations of the said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said Conditions, the Contractors shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work as described in the said Specifications and the Schedule of Quantities.

2. नियोक्ता बोलीकर्ता को निर्धारित शर्तों में विनिर्दिष्ट समय और तरीके से देय संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा।

The Employer shall pay the Contractor, the said Contract Amount or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said Conditions.

3. उक्त शर्तों में 'आर्किटेक्ट' शब्द का आशय इस संविदा के तहत निर्मित किए जाने वाले भवन/संरचनाओं की वास्तुशिल्पीय योजना और डिजाइनिंग आदि के उद्देश्य हेतु महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर से है। संविदा में उल्लिखित कार्य हेतु जिस भी कारण से आर्किटेक्ट की हैसियत समाप्त होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा नामित अन्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों उस प्रयोजन के लिए आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करेगा।

क. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यों के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणीकरण, भुगतान करने और विभिन्न नियमों, शर्तों और संविदा/अनुबंध की शर्तों को लागू करने के लिए सीधे व्यवस्था करेगा (संविदा के उपर्युक्त खंड के तहत परिभाषित कार्य को छोड़कर)। इस प्रयोजन के लिए कार्य में तेजी लाने, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, परियोजना की प्रगति और उसे पूरा करने आदि के बारे में उक्त शर्त में उल्लिखित आर्किटेक्ट से आशय सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) अथवा इस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति से होगा। संविदा के प्रावधानों को लागू करने अर्थात् मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटाने से संबंधित खंड के मामले में आर्किटेक्ट शब्द का आशय ऐसे अन्य व्यक्ति अथवा या व्यक्तियों से होगा जिन्हें इस कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा।

The term 'Architect' in the said conditions shall mean General Manager/DGM, Estate Department, Reserve Bank of India Kanpur for the purpose of architectural planning & designing etc. of the buildings / structures to be constructed under this contract. In the event of their ceasing to be Architects for the work mentioned in the contract for whatever reason such other person or persons as shall be nominated by the Employer for that purpose will function as Architect.

- (a) The Reserve Bank of India will administer and directly arrange for supervision of works, certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract (except for the scope of work as defined under clause 3 above). For this purpose, the term Architect in the said condition regarding escalation of work, quality of construction, quality of materials, progress & completion of the project etc. shall mean the Assistant General Manager (Tech) / Manager (Tech) / Assistant Manager (Tech) or any other person designated for the purpose by the Competent Authority, Reserve Bank of India. As far as the operation of the provision of the Contract viz. Clause relating to settlement of disputes through arbitration, the term 'Architect' shall be read as such other person or persons as shall be nominated by the Employer for that purpose will function as Architect.

4. सक्षम प्राधिकारी को इस कार्य हेतु प्रभारी अभियंता नियुक्त करने का अधिकार है। यदि विभाग में सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) नहीं है, तो प्रबंधक (तकनीकी) इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा, यदि प्रबंधक (तकनीकी) भी नहीं है, तो समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से सहायक प्रबंधक (तकनीकी) इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य करेगा।

The Competent Authority has the power to designate Engineer-in-Charge for this work. In case the department does not have AGM with technical background in that case Engineer-in-Charge for this work can be a Manager (Tech). Further, in case of non-availability of Manager (Tech), Assistant Manager (Tech) will act as Engineer-in-Charge with due approval of Competent Authority.

5. उक्त शर्तों और इसके साथ संलग्न परिशिष्ट को इसके साथ पढ़ा जाए और उन्हें इस करार का एक हिस्सा माना जाएगा तथा पक्षकारों को उक्त शर्तों का पालन करना होगा और उक्त शर्तों के अनुसार क्रमशः अपने-अपने हिस्से का करार निष्पादित करना होगा।

यहां योजनाएं, करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज इस करार के आधार होंगे।

The said conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement, and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this Contract

6. यह संविदा न तो कोई नियत एकमुस्त संविदा है, न ही खंडित कार्य संविदा है, बल्कि नियोक्ता **“कर्मचारी आवास, किदवई नगर के 8 फ्लैटों में फ्लश दरवाजे लगवाने का कार्य”** के संबंध में संपूर्ण कार्य करने हेतु संविदा है, जिसके लिए भुगतान दर अनुसूची में दी गई दरों पर वास्तविक तयशुदा मात्रा और संभावित मात्रा के अनुसार अथवा निर्धारित शर्तों में किए गए प्रावधान के अनुसार किया जाना है।

This Contract is neither a fixed Lump Sum Contract nor a Piece Work Contract but a Contract to carry out the work in respect of the entire of the **“केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना ”** to be paid for according to the actual measured quantities at the rate contained in the schedule of rates and probable quantities or as provided in the said Conditions.

7. संविदाकर्ता सिविल कार्यों, सेनेटरी कार्य और फिटिंग्स का संस्थापन, स्थायी जल आपूर्ति, इलेक्ट्रिकल संस्थापन, फिटिंग्स, लिफ्ट, टेलीफोन, एयर कंडीशनिंग और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को करने हेतु हर यथोचित सुविधा उपलब्ध कराएगा और कार्य पूरा होने के पश्चात दीवारों, फर्शों इत्यादि को हुई किसी भी क्षति की भरपाई करेगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for the carrying out of all works relating to civil works, installation of sanitary work and fittings, permanent water supply, electrical installations, fittings, lifts, telephone, air conditioning and other ancillary works in the manner laid down in the said conditions and shall make good any damages done to walls, floors etc. after the completion of such works.

8. नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी कार्य को जोड़कर अथवा हटाकर अथवा उक्त कार्य के किसी भाग को किसी और से कराकर कार्य के स्वरूप में बदलाव कर सकता है।

The Employer reserves to itself the right of altering the drawings & nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this contract.

9. समय को इस संविदा का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा और संविदाकर्ता इसके द्वारा औपचारिक कार्यदिश जारी होने के दिन से जैसा कि उक्त शर्तों में प्रावधान है, कार्य प्रारंभ कर देने और पूरा विनिर्दिष्ट कार्य **75 दिन** के भीतर पूर्ण कर देने पर सहमत है, तथापि यह समय विस्तार के प्रावधान के अधीन होगा।

Time shall be the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work soon after the site is handed over to him or from the date of issue of formal work order as provided for in the said conditions whichever is later and to complete the entire work within **75 days** subject nevertheless to the provisions for extension of time.

10. इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल कानपुर में किए जाएंगे।

All payments by the Employer under this Contract shall be made only at Kanpur.

11. इस करार से उत्पन्न अथवा इससे किसी भी रूप में जुड़े सभी विवादों के बारे में यह माना जाएगा कि वे कानपुर में उत्पन्न हुए हैं और उन पर केवल कानपुर स्थित न्यायालयों को उन पर निर्णय देने का अधिकार होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Kanpur and only Courts in Kanpur shall have jurisdiction to determine the same.

12. इस संविदा के अनेक हिस्से संविदाकर्ता द्वारा पढ़ लिए गए हैं और संविदाकर्ता द्वारा पूरी तरह से समझ लिए गए हैं। जब तक बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने लिखित रूप में विशेष निर्देश न दिए हों तब तक संविदाकर्ता को निविदा में उल्लिखित मात्राओं के परे भुगतान नहीं किया जाएगा।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood. The Contractor shall not be entitled for the payment for the quantities beyond the tendered quantities unless ordered for by specific written instructions from the Bank's competent authority.

13. संविदाकर्ता और उसका कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी कोई भी सूचना, सामग्री और बैंक की आधारभूत संरचना/ सिस्टम / उपकरण आदि का विवरण जो इस करार से जुड़े अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उसके कब्जे या संज्ञान में आई हों, किसी अन्य पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और हर समय उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। संविदाकर्ता करार के विवरण उस सीमा तक निजी और गोपनीय रखेगा जब तक कि इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करने अथवा प्रयोज्य कानूनों के पालन हेतु अन्यथा अपेक्षित न हो। संविदाकर्ता नियोक्ता की लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्य के किसी भी विवरण को किसी व्यावसायिक या तकनीकी पत्र अथवा अन्यत्र न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा अथवा उसका खुलासा ही करेगा। किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के कारण नियोक्ता को होने वाले नुकसान हेतु संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता को क्षतिपूरित किया जाएगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकर्ता के स्तर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को हक होगा कि वह हुए नुकसान का दावा करे और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे।

The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss

suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न:

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE

क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से संविदाकर्ता का होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में संविदाकर्ता/ एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी।

- A. The Contractor /Agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of the " Sexual Harassment of the women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the internal complaints committee constituted by the contractor / Agency and the Contractor / Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

ख) संविदाकर्ता के किसी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

- B. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

ग) संविदाकर्ता के कर्मचारियों की संलिप्तता की स्थिति में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए संविदाकर्ता उत्तरदायी होगा, उदाहरण के लिए यदि संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी द्वारा की गई यौन हिंसा प्रमाणित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत का भुगतान संविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।

- C. The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved.

घ) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न तथा संबंधित मामलों के संबंध में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदाकर्ता की होगी।

- D. The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

ड.) संविदाकर्ता अपने उन कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा जिन्हें बैंक परिसर में काम पर लगाया गया है।

- E. The contractor shall provide a complete and updated list of employees who are deployed within the Bank's premises.

14. संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के मामले में वे सभी उचित कदम उठाएगा जिससे कि इस करार के अधीन सभी गोपनीय सूचनाओं के गैर-प्रकटीकरण की शर्त का पूर्ण अनुपालन हो। अप्रकटीकरण और गोपनीयता संबंधी संविदाकर्ता की बाध्यता इस करार की समाप्ति/निरस्तीकरण, चाहे जिस वजह से हो, के उपरांत भी रहेगी।

The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

यदि संविदाकर्ता कोई साझेदारी फर्म अथवा कोई व्यक्ति हो If the contractor is a Partnership or an Individual	गवाहों की उपस्थिति में बैंक और संविदाकर्ता ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को इन कागजात पर और इसकी दो प्रतिलिपियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं। IN WITNESS WHEREOF the Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.
यदि संविदाकर्ता कोई कंपनी हो If the contractor is a Company	गवाहों की उपस्थिति में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन कागजात पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और संविदाकर्ता ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को अपनी ओर से इस पर और इसकी दो प्रतिलिपियों पर अपनी मुहर लगवा दी है। IN WITNESS WHEREOF the Bank has set its hand to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicate/has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड Signature Clause

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

श्री

(नाम और पदनाम)

.....

की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

गवाह Witnesses

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित 1)..... पता 2) पता गवाह THE COMMON SEAL OF Was hereunto affixed pursuant to the resolutions passed by its Board of Directors at the meeting held on..... In the presence of Directors who have signed these presents in taken thereof in the presence of 1)..... 2)..... ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित श्री और विधिवत मुख्तारनामा 	यदि पक्षकार कोई साझेदारी फर्म अथवा कोई व्यक्ति हो, तो सभी साझीदारों अथवा सभी साझीदारों की ओर हस्ताक्षर करने चाहिए। If the part is a partnership firm or any individual should be signed by all or on behalf of all the partners. यदि बोलीकर्ता मुहर लगाकर हस्ताक्षर करता है तो उपस्थितों का हस्ताक्षर खंड संस्था के अंतर्नियम में दिए मुहर लगाने के खंड से मेल खाना चाहिए। If the Contractor signs under its Common Seal the signature clause should tally with their sealing clause in the Articles of Associations. यदि संविदा पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा-धारक के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति। The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual. यदि संविदा पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा-धारक के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति। The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.
--	---

खंड ए: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर अपने पैनल में शामिल ठेकेदारों से दो भागों में <http://mstcecommerce.com/eproc> पर ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। पैनल में शामिल ठेकेदारों को उल्लिखित पोर्टल पर भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (वित्तीय बोली) प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

1. ई-निविदा दस्तावेज़:

- i. निविदा में दस्तावेज (भाग I और भाग II) शामिल होंगे। भाग I में तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें (सभी खंड और अनुलग्नक) शामिल हैं, साथ ही इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई कोई अनुसूची, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि हो सकते हैं। भाग II में केवल वित्तीय बोली शामिल है। ई-निविदा दस्तावेज / निविदा आमंत्रित करने की सूचना <http://mstcecommerce.com/eproc> से डाउनलोड किया जा सकता है।
- ii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-टेंडर दस्तावेजों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।
- iii. ई-निविदा जमा करने को सावधानीपूर्वक अध्ययन और ई-निविदा दस्तावेजों की जांच के बाद इसके निहितार्थों की पूरी समझ के बाद इसे प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

2. निविदा दस्तावेजों को प्राप्त करना:

- i. ई-निविदा दस्तावेज/निविदा आमंत्रित करने की सूचना तथा <http://mstcecommerce.com/eproc> से निविदा डाउनलोड की जा सकती है।
- ii. इच्छुक पार्टियां यदि चाहें तो किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपदा विभाग के अधिकारियों से फोन/ई-मेल पर संपर्क कर सकती हैं।

3. प्री-बिड मीटिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक बोली आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित समय और स्थान पर बोली-पूर्व बैठकें आयोजित करेगा, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सके/परियोजना के संबंध में निविदाकर्ताओं के पास स्पष्टीकरण दिया जा सके और उन्हें इसके बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जा सके।

4. ई-निविदा दस्तावेज में संशोधन

- i. बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, एक संशोधन द्वारा ई-निविदा को संशोधित कर सकता है और इसे संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए <http://mstcecommerce.com/eproc> को शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा।
- ii. ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी निविदाकारों को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

5. निविदा तैयार करना

a) भाग I/तकनीकी - वाणिज्यिक बोली:

- i. सभी अनुभाग और अनुलग्नक तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा हैं। सभी अनुभागों और अनुलग्नों पर निविदाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- ii. निविदाकर्ता को विभिन्न अनुभागों में निर्दिष्ट सभी विवरणों को भरना होगा और उत्पाद के पत्रक/आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशर आदि को संलग्न करना होगा।

- iii. निविदाकर्ताओं को <http://mstcecommerce.com/eprocn> पर सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करके निविदा में बताए गए पूर्व-योग्यता मानदंड और अन्य दस्तावेजों के लिए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

b) भाग II/वित्तीय बोली:

- (i) **बोली के लिए मुद्रा:** बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी पॉकेट / जुटाने का खर्च, उपकरण, कार्यकर्ता की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर **(जीएसटी सहित)**, शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, **श्रम**, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई योगदान आदि शामिल होंगे। जैसा कि **नियमों के अनुसार लागू हो।**
- (ii) कीमत को मूल्य अनुसूची के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
- (iii) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम विधिवत भरे जा सकते हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II/वित्तीय बोली को खोलने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) यदि मूल्य अनुसूची का कोई कॉलम खाली पाया जाता है, तो संबंधित निविदाकर्ताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आरबीआई द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, बैंक निविदा खंड के अनुसार यदि आवश्यक हो, इस मामले में समीक्षा भी कर सकता है।
- (v) दरों को निर्दिष्ट कॉलम में आंकड़ों और शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए। ई-टेंडर भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को ई-टेंडर के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है; इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर ई-निविदा को शून्य कर देगी। ई-टेंडर खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, ई-टेंडर को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- (vii) प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिसका अनुबंध के प्रदर्शन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण वस्तुओं की डिलीवरी की कीमत या समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

6. बोलियों की वैधता की अवधि

निविदा आमंत्रित करने की सूचना में दर्शाई गई अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए बोलियां वैध रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ, तो इस अवधि को पारस्परिक रूप से और बढ़ाया जाएगा।

- 7. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने का कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने पास आरक्षित रखता है।**

8. (ए) ठेकेदार द्वारा संविदा को उचित रूप से पूरा करने के लिए आगे की सुरक्षा के रूप में, अंतरिम/अंतिम भुगतानों के मूल्य का 5% बैंक द्वारा ठेकेदार को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान से प्रतिधारण धन के रूप में काटा जाएगा। 12 महीने की देनदारी अवधि के दौरान बताए गए दोषों को ठीक करने के बाद प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। **बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।**
(बी) इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना राशि और सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है यदि राशि अनुमन्य है, तो ठेकेदार को जब तक कि वह जमा राशि किसी और तरह से देय न हो जाए, कटौती के दस दिनों के भीतर काटी गई रकम नकद में जमा करनी होगी।
9. **बोलियां जमा करने की प्रक्रिया**
इस निविदा के लिए **टू-कवर/पार्ट सिस्टम** रखने का प्रस्ताव है
- a) **तकनीकी - वाणिज्यिक बोली/भाग I में निम्नलिखित मदें शामिल हैं**
- भाग- I / तकनीकी - वाणिज्यिक बोली (सभी खंड और अनुलग्नक)। कृपया ध्यान दें कि कीमतों को भाग-I/तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली <http://mstcecommerce.com/eproc> पर प्रस्तुत की जा सकती है।
 - पूर्व-योग्यता का दस्तावेजी प्रमाण यदि कोई हो, <http://mstcecommerce.com/eproc> पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।
- b) **भाग II/वित्तीय बोली**
- भाग II/वित्तीय बोली <http://mstcecommerce.com/eproc> को प्रस्तुत की जा सकती है
 - कोई सशर्त/वैकल्पिक कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - निविदाकर्ताओं को उनकी बोलियों की प्राप्ति के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - जिन लोगों ने निविदा डाउनलोड की है, उन्हें पात्रता मानदंड, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है।
10. **ई-निविदाओं की प्राप्ति**
ई-निविदा बोलियां निर्धारित समय और तारीख तक स्वीकार की जाएंगी जैसा कि निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्राप्त ई-निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
11. **भाग I का खोला जाना**
तकनीकी - वाणिज्यिक बोलियां निर्धारित समय और तारीख पर खोली जाएंगी जैसा कि सम्पदा विभाग, आरबीआई कानपुर में निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित है। निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि यदि वे चाहें, तो उपस्थित हो सकते हैं,
12. **भाग I की जांच**
- भाग I का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष स्थिति में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
 - भाग I के मूल्यांकन के बाद, शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकर्ताओं को सभी ई-निविदाकर्ताओं को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। भाग-I पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और चर्चा के लिए खुला नहीं होगा।
13. **भाग II /वित्तीय बोली का खोला जाना**
शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों के भाग- II को बाद में खोला जाएगा, और ऐसे शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि चाहें, तो उपस्थित हो सकते हैं।

14. भाग II की जांच-पड़ताल

भाग II का मूल्यांकन अनुबंध की विशेष स्थिति में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, सबसे कम निविदाकर्ता (एल 1) घोषित किया जाएगा।

15. बैंक को आदेश देते समय/संविदा पर हस्ताक्षर करते समय मात्रा में भिन्न-भिन्न होने का अधिकार है।

16. किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार है

a) ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रभावित निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं के प्रति बैंक का कोई दायित्व होगा। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।

b) भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित के कारण अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

i. यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।

ii. किसी भी घटना जिसके कारण चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।

iii. निविदाकर्ताओं की ओर से संभावित मिलीभगत/खुराफात का साक्ष्य, चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में हेरफेर, कोई अन्य कारण, जिसके लिए बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करने की आवश्यकता होती है।

iv. ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक सभी निविदाकर्ताओं को 7 दिनों या ऐसे निर्णय के किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, इस संबंध में किसी भी निविदाकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता बोली प्रतिभूति को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

v. बैंक प्रक्रिया को फिर से निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (ए) से (डी) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।

vi. बैंक, निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों/शर्त को हतोत्साहित करता है।

17. ठेकेदार अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से को किसी दूसरे को न नहीं देगा : वह बैंक की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द करके ठेकेदार को लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक द्वारा सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

18. ठेकेदार, बैंक के इंजीनियर द्वारा दी गई मात्रा, विवरण और निर्देशों की अनुसूची के अनुसार, सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में, डिजाइन में परिवर्तन किया जाना है और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, ठेकेदार इसे पूरा करेगा और इसे ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरा करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।

19. इन विशेष शर्तों के साथ प्रत्येक कार्य और विनिर्देशों के संबंध में संभावित मात्रा की एक अनुसूची। संभावित मात्रा की अनुसूची बैंक के विवेक पर चूक, कटौती या परिवर्धन द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक निविदा में

- न केवल दरें होनी चाहिए, बल्कि एक अलग कॉलम में दर्ज किए गए कार्य की प्रत्येक वस्तु का मूल्य भी होना चाहिए और संपूर्ण निविदा के कुल मूल्य को दिखाने के लिए सभी वस्तुओं को जोड़ा जाना चाहिए।
20. निविदाकर्ता को अपने लिए, अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर, सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने और अनुबंध करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकती है और विनिर्देशों की जांच करनी चाहिए और कार्य की साइट का निरीक्षण करना चाहिए और कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामले व सभी स्थानीय स्थितियों, काम से संबंधित सभी साधनों से खुद को परिचित करना चाहिए,
 21. (ए) निविदा में उद्धृत दरों में डबल मचान (यदि आवश्यक हो), किसी भी उपकरण और संयंत्र के लिए सेंट्रिंग किराया, सामग्री के लिए छाया, साइट को चिह्नित करना और साफ करना, तराई, जैसा कि विनिर्देशों में उल्लेख किया गया है, के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे। उद्धृत दरें साइट पर मापे जाने वाले तैयार कार्य के लिए मानी जाएंगी। दरें भी दृढ़ होंगी और विनिमय विविधताओं, श्रम स्थितियों, रेलवे माल में उतार-चढ़ाव या किसी भी स्थिति के अधीन नहीं होंगी। निविदाकर्ताओं को अपनी दरों में जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, चुंगी, कार्य अनुबंध पर बिक्री कर और कोई अन्य कर और शुल्क या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर और शुल्क, यदि लागू हो, शामिल करना होगा। जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी या अन्य कर, शुल्क या लेवी के संबंध में कोई दावा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में, नियोक्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(b) कार्य इस तरह से किया जाएगा कि बैंक परिसर और उसके कामकाज में कम से कम व्यवधान हो। इस उद्देश्य के लिए बैंक इंजीनियर के परामर्श से एक योजना तैयार की जाएगी।
 22. ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ई-निविदा पूरी तरह से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जा सकता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त मदों के मामले में नियोक्ता के ध्यान में लाएगा जो काम के दौरान मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित नहीं है और केवल बैंक के इंजीनियर से लिखित अनुमोदन पर ही इसे पूरा करेगा।
 23. ई-निविदा के मूल्यांकन के दौरान, बैंक सबसे कम बोली लगाने वाले को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाल सकता है, जो बैंक के अनुमान और उनके द्वारा उद्धृत राशि के बीच की राशि में अंतर के लिए है। बैंक गारंटी जमा करना कार्य प्रदान करने के लिए पूर्व शर्त बन जाती है। बैंक गारंटी जमा न करने की स्थिति में, बैंक ई-निविदा को स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 24. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 10 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी। अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान, सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुबंध की शर्तों के खंड 27 (धारा डी) में परिभाषित परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकर्ता काम शुरू करने से पहले, एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
 25. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-अनुबंध में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य व्यापारियों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में या सरकार द्वारा नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्य के

लिए या किसी अन्य कारण से पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में और नियोक्ता उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता ई-निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

26. सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की सभी वस्तुओं को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ये मर्दे मात्रा और दरों में शामिल न हों। नियोक्ता ऐसी अतिरिक्त मर्दों और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची लिखित रूप में जारी करेगा।
27. सफल निविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ और नियोक्ता की संतुष्टि के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े।
28. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से और कानूनी सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकता के अनुपालन में भी किए जाएंगे और किसी भी कारण से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
29. सफल निविदाकर्ता को काम के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए।
30. ठेकेदार यहां संलग्न सुरक्षा कोड के प्रावधान का सख्ती से पालन करेगा। सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी यदि वह अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है।
31. आयकर, सेवा कर, व्यापार कर, जीएसटी या अन्य कर लागू होने पर कटौती की जाएगी।
32. ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि नौकरी के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों को साइट पर बनाए रखेगा और जब भी आवश्यक हो, बैंक या उसके प्रतिनिधि को उसे प्रस्तुत करना चाहिए।
33. **उद्धृत दर में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत देय ईएसआई, ईपीएफ, बोनस या किसी अन्य मुआवजे आदि के लिए देय राशि शामिल होगी।** एजेंसी या ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पंजीकरण/कोड नंबर प्राप्त करे और समझौतों के निष्पादन से पहले बैंक को प्रस्तुत करे। यह एजेंसी या ठेकेदार द्वारा सख्ती से किया जाना चाहिए। एजेंसी या ठेकेदार कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का भुगतान सुनिश्चित करेगा, जैसा कि उसके द्वारा नियोजित कामगारों/ठेका श्रमिकों के संबंध में लागू होता है और बैंक को इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य (यानी भुगतान करते समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पोर्टल से प्राप्त भुगतान रसीद) प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर बैंक इसे सीधे जमा करेगा और एजेंसी या ठेकेदार को देय देय राशि से निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाने के साथ-साथ समायोजित/कटौती करेगा। इस खाते पर एजेंसी या ठेकेदार को उद्धृत दरों से अधिक कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी या ठेकेदार ईएसआई और ईपीएफ के उद्देश्य सहित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और ईपीएफ और ईएसआई सहित श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।
मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

गवाह: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर _____

पता _____

स्थान:

तारीख:

खंड बी: सुरक्षा कोड

1. साफ पट्टी और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा। एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
 2. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
 3. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त श्रम लगाया जाएगा।
 4. किसी भवन के फर्श में या कार्य मंच में प्रत्येक उद्घाटन को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे; न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
 5. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को सामग्री के मलबे से इतना अधिक नहीं लगाया जाएगा कि यह असुरक्षित हो जाए।
 6. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
 7. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
 - i. पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
 - ii. श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जाएगी जब पेंट स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़ और स्क्रेप किया जाता है। ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले चित्रकारों को काम बंद होने की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
 - iii. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित सही स्थिति में होंगे।
- सामग्री को उत्पादित करने या कम करने में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ, या निलंबन का साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होनी चाहिए और दोषों से मुक्त होनी चाहिए।
8. यह एक अधिगृहीत परिसर है और बैंक की सुविधा के आधार पर साइट तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

स्थान:

मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम और पता

टेलीफोन/मोबाइल नं.

खंड सी: अग्नि सुरक्षा कोड

- i. साइट पर उपयोग किए जाने वाले कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही ढंग से रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
- ii. केवल आईएसआई चिह्नित 3-पिन प्लग और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
- iii. उपयोग किए गए विद्युत केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें ठीक से लगाया जाना चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाएगा।
- v. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
- vi. अनुशंसित अग्निशामक यंत्रों को साइट पर रखा जाएगा। प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
- vii. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।
- viii. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 फीट से अधिक ऊंचाई से काम करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- ix. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों की लॉबी के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को ढेर करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- x. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xi. उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मुख्य से बंद कर दी जाएगी।
- xii. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक:

पता:

खंड डी: यहां पहले से संदर्भित शर्तें

1. इन शर्तों के निर्माण में, विनिर्देश, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध करार, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां लगाया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता होती है।
 - ए) "नियोक्ता" इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशिनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
 - बी) कंपनी के मामले में "ठेकेदार का मतलब _____ 19__ के तहत निगमित कंपनी _____ होगा और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे।
 - सी) "साइट" इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों की साइट जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।
 - डी) "यह अनुबंध" इसका अर्थ होगा करारनामा, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची इससे जुड़ी और विधिवत हस्ताक्षरित।
 - ई) "लिखित रूप में सूचना" इसका मतलब होगा लिखित, टाइप या मुद्रित या लिखित नोटिस में एक नोटिस" अक्षर भेजे गए (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से अन्यथा प्राप्त किया गया हो) पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय में भेजा गया है और इसे प्राप्त किया गया माना जाएगा, जब डाक की सामान्य प्रक्रिया में इसे वितरित किया गया होगा।
 - एफ़) "दिवालिया अधिनियम" प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवालियापन के किसी भी अधिनियम का अर्थ होगा।
 - जी) "शुद्ध मूल्य" यदि अनुबंध राशि पर पहुंचने में ठेकेदार ने ई-निविदा में मदों की कुल राशि में से कोई राशि जोड़ दी है या काट ली है, या तो प्रतिशत के रूप में या अन्यथा है, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य ई-निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़ों में से जोड़ने या घटाकर प्राप्त राशि होगी, उस वस्तु की कीमत के रूप में एक समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि हमेशा प्रदान की जाती है कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी गई या काटी गई राशि के प्रतिशत या अनुपात का निर्धारण करने में, किसी भी प्राइम कॉस्ट मदों की कुल राशि और अनंतिम रकम ई-निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" जब अनुबंध या खाते के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो इसका मतलब दरों या कीमतों पर लगाया जाएगा।
 - एच) "कार्य" इसका मतलब होगा **केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना**

2. **अनुबंध का दायरा:** ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को करेगा और पूर्ण करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के आरेखण और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है,

जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से निम्नलिखित के लिए "बैंक के इंजीनियर के निर्देश के संबंध में" कहा जाता है:

1. डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की विविधताएं या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
2. आरेखण में या मात्रा अनुसूची और/या आरेखण और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
3. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई किसी भी सामग्री को हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
4. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
5. उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।
6. किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।
7. इसके खंड 19 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार बैंक इंजीनियर के ऐसे निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, इन्हें अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों का विवरण देते हुए परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ये विवरण उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर दिए जाते।

3. अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार प्रत्येक अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस पर हस्ताक्षर करने पर ठेकेदार को उक्त रेखाचित्रों और विशिष्टताओं में से प्रत्येक की एक प्रति और काम की प्रगति के दौरान जारी किए गए अन्य सभी रेखाचित्रों की एक प्रति मुफ्त दी जाएगी। ठेकेदार द्वारा आवश्यक ऐसे रेखाचित्रों की किसी भी अतिरिक्त प्रति का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार रेखाचित्रों की एक प्रति कार्य स्थल पर रखेगा और बैंक के इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर उसे देखने की अनुमति (पहुंच) होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक इंजीनियर को सभी आरेखण और विनिर्देश लौटाने होंगे।

4. ठेकेदार को अपने खर्च पर आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे उन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को आरेखणों में या आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह उसे तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका अनुसरण किया जाए। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह स्थल पर निष्पादित मात्रा का मापन ले और बैंक के अभियंता को रिपोर्ट करे।

5. प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट: ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधि के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी

प्रणाली से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और आरेखों या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, वास्तुकार को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 13 के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

6. कार्य की रूपरेखा: ठेकेदार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और पूर्ण रूपरेखा के लिए तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

7. सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए: सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और अनुबंध के अनुसार होनी चाहिए और ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी सामग्री का परीक्षण कराएगा और/या परीक्षण की व्यवस्था कराएगा।

8. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर उसका प्रतिनिधि: ठेकेदार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद, नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य के पूरे चालू रहने के दौरान, एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो कर्मचारियों के कार्य करते रहने तक, कार्यों पर निरंतर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना, ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

9. कामगारों की बर्खास्तगी: ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

10. कार्यों तक पहुँच: नियोक्ता को सभी उचित समयों पर, कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक, जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, निर्बाध पहुँच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को सामग्रियों और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा।

सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी): 'सहायक प्रबंधक (तकनीकी)' शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार, सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों के निरीक्षण के लिए तथा समय और सामग्रियों की जांच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अस्वीकृति का नोटिस देने की शक्ति होगी, और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा, या ऐसी सामग्रियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा समय-समय पर कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी जांच ठेकेदार को उन कमियों को सुधारने के दायित्व से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी जो कार्यों के किसी चरण में या काम पूरा होने के बाद पाई जा सकती हैं। इस धारा की सीमाओं के अधीन, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश प्राप्त करेगा।

12. समनुदेशन और उप-पट्टा: अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार अनुबंध की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।

13. कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन, या वृद्धि, या लोप करना या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रकार में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा, या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार अनुबंध के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन, वृद्धि या लोप या कोई विचलन नहीं करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या लोप का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

14. मात्राओं की अनुसूची: मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मापन की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्राओं की अनुसूची से मदों की चूक इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत निर्धारित किया गया है, अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता: यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में भी संतुष्ट है। ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।

16. कार्यों का मापन :- बैंक इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना है, और ठेकेदार तुरंत उपस्थित होगा या ऐसे मापन और गणना करने में बैंक इंजीनियर की सहायता करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए भी आवश्यक सभी सहायता प्रदान करने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि भेजेगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा करता है या चूक करता है, तो बैंक इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया मापन, कार्यों का सही मापन माना जाएगा। ऐसे मापन विनिर्देशों में वर्णित मापन विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट मापन के समय आवश्यकतानुसार नोट्स और मापन ले सकता है। नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी परिवर्तन ऐसे मापनों में शामिल किए जाएंगे।

17. अतिरिक्त मूल्य: ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित रूप में निर्देशित होने पर, आरेखों में दर्शाए गए कार्यों, या विनिर्देश में वर्णित कार्यों, या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़, हटाना या परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, हटाना या परिवर्तन नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर उनके द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह धारा 5 के प्रावधानों के तहत यहाँ उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। यहाँ उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त को प्राधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(a) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगे, जहाँ ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें मूल्यांकित कार्य जैसी शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।

(ii) सभी मदों के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

(b) मूल निविदा के शुद्ध मूल्य छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगे, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए मूल्य उप-खंड (ग) के तहत मूल्यांकित किए जाएंगे।

© जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के तहत उद्धृत नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण अनुबंध कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की मात्रा ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी मद के लिए निहित शुद्ध दर या मूल्य में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति के साथ ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि वह परिस्थितियों में तर्गसंगत और उचित समझे।

(d) जहां अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहां ठेकेदार को निविदा

या मूल्यांकित अनुसूची या मात्रा में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य की कीमतें दी जाएंगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में दैनिक समय (कर्मचारियों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य निष्पादित होने के बाद के सप्ताह के अंत में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए सौंप दिए जाएं।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं उल्लिखित है तो खंड 21 में परिभाषित अनुबंध कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

18. सामग्री की बुनियादी दर के लिए मूल्य समायोजन:

मूल्य समायोजन केवल मापी गई वास्तविक मात्रा पर ही किया जाएगा। मूल्य समायोजन बुनियादी दर और वास्तविक बाजार/सामग्री खरीद दर के बीच के अंतर तथा ई-टेंडर में संबंधित आइटम के लिए उद्धृत दर पर 15% लाभ के लिए किया जाएगा। बुनियादी दर का तात्पर्य साइट पर सामग्री की उस लागत से है जिसमें जीएसटी, परिवहन शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद/सीमा शुल्क, वैट, सैट, चुंगी या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू कोई अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी शामिल नहीं हैं।

19. नियोक्ता की संपत्ति मानी जाने वाली अनिर्धारित सामग्री

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

20. अनुचित कार्य को हटाना: नियोक्ता को, कार्य के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय(यों) के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित करे, और आरेखणों एवं विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे और ठेकेदार ऐसे आदेश का अपने खर्च पर तुरंत पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वेतन पर नियुक्त करने का अधिकार होगा; और उसके परिणामस्वरूप या उसके आनुषंगिक सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट लिए जाएंगे।

21. वास्तविक समापन के बाद दोष: कोई भी कमी, सिकुड़न, सेटलमेंट (धंसाव) या अन्य दोष जो इसमें संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित 'दोष देयता अवधि' के भीतर, या यदि कोई अवधि उल्लिखित न हो तो कार्यों के वास्तविक समापन के बारह महीनों के भीतर प्रकट हो, और जो नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी के कारण उत्पन्न हुआ हो, उसे नियोक्ता के लिखित निर्देश पर और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर सुधारा और ठीक किया जाएगा।

चूक होने की स्थिति में, नियोक्ता ऐसे दोषों, सिकुड़न, धंसाव या अन्य कमियों को सुधारने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी

नुकसान, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे (या नियोक्ता द्वारा चुकाए जाएंगे) अथवा नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाणपत्र के आधार पर, ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं। या फिर, ठेकेदार द्वारा सुधार किए जाने के बदले नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से ऐसी राशि काट सकता है, जो नियोक्ता द्वारा इस प्रकार के कार्य को सुधारने की लागत के बराबर निर्धारित की जाएगी। यदि इस अनुबंध की धारा 32 के तहत रोकी गई राशि अपर्याप्त होती है, तो नियोक्ता शेष राशि को उससे जुड़े किसी भी खर्च के साथ ठेकेदार से वसूल कर सकता है। यदि इस अनुबंध की धारा 12 और 22 के तहत नामित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य या सामग्री की आपूर्ति की गई है, तो ठेकेदार उसे उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कार्य या सामग्री स्वयं ठेकेदार द्वारा की गई या आपूर्ति की गई हो और इस धारा तथा धारा 2 के प्रावधानों के अधीन हो। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पास करने के बावजूद, ठेकेदार इस धारा के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी बना रहेगा।

22. वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि: जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्यों को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्रों की तिथि से शुरू होगी।

23. नामित उप-ठेकेदार: सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठेकेदार के विरुद्ध उचित आपत्ति नहीं की जाएगी (सिवाय इसके कि जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो अनुबंध प्रदान नहीं करेगा।

(क) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेके के संबंध में उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जिसके अधीन ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।

(ख) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेकेदारों, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या किसी भी लागू कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।

(ग) नामित उप-ठेकेदार को भुगतान नियोक्ता के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा बशर्ते कि कोई भी प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ठेकेदार अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाण पत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है; ऐसा न करने पर नियोक्ता बैंक के प्रमाण पत्र पर उसका भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच निजी अनुबंध का सृजन नहीं होगा।

24. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति: नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों से करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान

करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

25. व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:

1. ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों या क्षति के लिए और संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो ठेकेदार या किसी भी उप-ठेकेदार या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक चूक से उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के तहत दायित्व में अन्य बातों के साथ-साथ संरचनाओं को होने वाली किसी भी क्षति को भी शामिल किया जाएगा, चाहे वह कार्यों से सटे हों या अन्यथा, सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों को किसी भी क्षति के साथ-साथ भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुए नुकसान को भी कवर करेगा। बारिश, हवा, ठंड या मौसम की अन्य अस्थिरता के कारण इस अनुबंध की विषय वस्तु बनाने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार भी जिम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति रखेगा और उसे किसी भी ऐसी चोट या व्यक्तियों या संपत्ति की क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्चों के संबंध में हानिरहित ठहराएगा और चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ, चाहे वह किसी भी कानून के तहत हो या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पंचाट या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, बैंक द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार (पूर्व का नाम) के संयुक्त नामों में पृथ्वी भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की पूरी राशि के लिए बीमा के लिए एक सभी जोखिम पॉलिसी को मानक के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ लागू करेगा और बनाए रखेगा ठेकेदारों के लिए नीति और कार्य शुरू करने से पहले बैंक के पास ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करना।
2. ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा ताकि पूरे कार्यों की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण हो सके और ताकि संपत्ति या तीसरे पक्ष को नुकसान के सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके।
3. ठेकेदार भी क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चीज के संबंध में बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वयं के खर्च पर, अनुबंध के आभासी समापन तक प्रभावी और बनाए रखेगा, बैंक द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ बैंक के संयुक्त नाम में बीमा की एक नीति और ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) ऐसे जोखिमों के खिलाफ और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियां जमा करें।
4. पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति के नुकसान के संबंध में 5 लाख रुपये होगी। ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों के खिलाफ भी क्षतिपूर्ति करेगा जो बैंक पर किए जा सकते हैं, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम या लागू किसी अन्य कानून के तहत, इस अनुबंध की मुद्रा के दौरान या ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में सामान्य कानून में हो और अपने स्वयं के खर्च पर होगा, बैंक द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ अनुबंध के आभासी समापन तक प्रभाव और बनाए रखें, ऐसे जोखिमों के खिलाफ बीमा की एक पॉलिसी और इस अनुबंध की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करें।

5. जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, ठेकेदार बीमा करने में चूक में, बैंक बीमा कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है।
6. ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति, जानवर या इस अनुबंध को करने वाले दोषपूर्ण को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी, जो भी हो, कारण हो सकता है जिसके कारण नुकसान हुआ होगा।
7. ठेकेदार भी क्षतिपूर्ति करेगा और सभी और किसी भी लागत, शुल्क या कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले खर्चों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा।
8. इस तरह के डिफॉल्ट के संबंध में ठेकेदारों के खिलाफ बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि से बैंक द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजा लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं।
9. ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।
10. ठेकेदार, क्षति के बाद पुनः निर्माण या बहाली के मामले में पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि बैंक उचित समझे, लेकिन हालांकि, बैंक द्वारा किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है।
11. इस खंड के तहत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान नीतियों के कार्यों के अपने संबंधित हिस्सों के लिए प्रभावित करेगा और बैंक को ऐसी नीतियों का उत्पादन करेगा या उत्पादन करेगा। ठेकेदार एक नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां जमा नहीं की जाती हैं। साइट पर कार्य शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या बीमा की पॉलिसियों को लेने में उप-ठेकेदार की विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।
12. ठेकेदार काम शुरू करने से पहले, सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर, उपकरण/सामग्री के निर्माता के काम छोड़ने से लेकर उक्त प्रणाली को बैंक को सौंपने तक, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर लेगा और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।
 1. ठेकेदार की सभी जोखिम नीति
 2. साइट पर काम करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति
 3. कुल 10.00 लाख रुपये और प्रति दुर्घटना 2.50 लाख रुपये की सीमा के साथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी

26. कार्य प्रारंभ करने और पूरा करने की तिथि: ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य प्रारंभ करने की तिथि" पर या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके बाद तुरंत कार्य शुरू कर देगा और नियमित रूप से कार्य को आगे बढ़ाएगा और उसे पूरा करेगा (ऐसे रंग-रोगन या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे बैंक विलंबित करना चाहे) या परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य पूरा

करने की तिथि" से पहले, फिर भी इसके बाद दिए गए समय विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

27. कार्य पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति: यदि ठेकेदार परिशिष्ट में बताई गई तारीख तक या किसी विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो यहां खंड 27 के तहत, ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में नामित राशि का भुगतान उस अवधि के लिए "परिसमापन क्षति" के रूप में करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और बैंक ठेकेदार के कारण किसी भी धन से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है। परिसमापन क्षति की वसूली प्रति सप्ताह परिसमापन क्षति की मात्रा होगी जो अनुमानित लागत का 0.25 प्रतिशत होगी और स्वीकृत ई-निविदा राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन होगी।

28. विलंब और समय का विस्तार: यदि नियोक्ता की राय में कार्य में देरी होती है (क) किसी बड़ी अप्रत्याशित घटना के कारण या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या ग) ठेकेदार की अपनी चूक के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदार या ट्रेडमैन के कार्यों या देरी के कारण और मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं है या (ङ) खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारण (च) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी बिल्डिंग ट्रेड को प्रभावित करना या (छ) ठेकेदार को बैंक से आवश्यक निर्देश समय पर प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से, जिसे बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (झ) घटना में, कार्य का मूल्य और कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार यथाशीघ्र बैंक को लिखित सूचना देकर किया जाएगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार विलम्ब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से अपेक्षित हो।

29. नियोक्ता के निर्देश का पालन करने में ठेकेदार की विफलता: यदि 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद ठेकेदार इस तरह के आगे के आरेखों और/या बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है, जो कि उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएंगी या ठेकेदार के कारण किसी भी धन से उसके द्वारा काटी जा सकती हैं।

30. नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति: यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या उसे दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा या दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में अदालत और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर असमर्थ होगा, जिसमें उसे आर्किटेक्ट की उचित संतुष्टि दिखाने की आवश्यकता होती है कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और इसलिए सुरक्षा देने के लिए, यदि वास्तुकार द्वारा आवश्यक हो।

या यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, पहली या निगमित कंपनी ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को निष्पादन या अदालत की कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

या इस अनुबंध के तहत ठेकेदारों के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से किसी भी भुगतान को भुगताना होगा।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को सबलेट करने के लिए असाइन करेगा और पहले प्राप्त किया था

या इस अनुबंध या किसी भी भुगतान को चार्ज या भारित करेगा या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है।

- i. अनुबंध छोड़ दिया है,
- ii. या कार्यों को शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के आगे बढ़ने के लिए बैंक नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है या
- iii. इस तरह के उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
- iv. साइट से सामग्री को हटाने या सात दिनों के लिए काम को नीचे खींचने और बदलने में विफल रहा है, बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करता है कि उक्त सामग्री या कार्य की इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था' या
- v. अनुबंध द्वारा किसी भी कार्य, मामले या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा सात दिनों के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार उपेक्षित या विफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस के बाद ठेकेदार को दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, अनुबंध का निर्धारण कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा जैसे कि अनुबंध इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया है, और इसलिए यदि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था। और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या नौकरों द्वारा परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तनों और सामग्रियों में प्रवेश कर सकता है और उन पर कब्जा कर सकता है, और अपनी संपत्ति के रूप में इसका उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के नौकरों और श्रमिकों के माध्यम से काम को पूरा करने और पूरा करने में या किसी अन्य को नियोजित करके नियोजित कर सकता है ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पूरा करने और खत्म करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए कोई कार्य या कार्य नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सके, बैंक ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दें। इसके बाद नियोक्ता अपने हाथ में लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री के बारे में क्या है, जो इस प्रकार लिया गया है, या नियोक्ता द्वारा लिया गया है और नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या नुकसान होगा, और राशि। यदि कोई हो, ठेकेदार और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

31. **ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति:** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए अवैतनिक होगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया होगा, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र के मुद्दे में हस्तक्षेप

करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को अस्वीकार कर देगा, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या कानून के किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में भी ठेकेदार नियोक्ता को लिखित रूप में नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से पुनर्प्राप्त करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीदी गई या उद्देश्य या अनुबंध के लिए तैयार किया जा सकता है।

इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल ई-निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन इस धारा के खंड 17 के अनुसार किया जाएगा।

32. **प्रमाण पत्र और भुगतान:** ठेकेदार को समय-समय पर नियोक्ता द्वारा अंतरिम प्रमाण पत्र के तहत किस्तों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा निष्पादित कार्य के कारण परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए किया जाएगा, क्योंकि 'अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए काम का मूल्य' इस अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया है, हालांकि, परिशिष्ट में "कुल प्रतिधारण धन" के रूप में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत को बनाए रखने के अधीन, जिसके बाद किश्तें बाद में निष्पादित और भवन में तय किए गए कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। और जब कार्य वस्तुतः पूरा हो जाता है, तो ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान किया जाएगा, परिशिष्ट में नामित धन की राशि "वर्चुअल पूर्णता के बाद किस्त" उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक हिस्सा होने के नाते। और ठेकेदार अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जिसे परिशिष्ट में 'दोष देयता अवधि' के रूप में संदर्भित किया गया है, आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया होगा और सभी दोषों को सही इरादे और अर्थ के अनुसार अच्छा किया जाएगा, जो भी अंतिम होगा हमेशा या उनके पूरा होने के बाद ठेकेदार को खंड 2 और 20 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और न ही ठेकेदार को धोखाधड़ी, बेईमानी, या कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में या प्रमाण पत्र में निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में ठेकेदार को राहत नहीं देगा।

नियोक्ता के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं।

भुगतान की निम्नलिखित शर्तें केवल काम के लिए लागू होती हैं।

पूर्ण और अंतिम बिल नीचे दिए गए विस्तृत मद-वार माप लिए जाएंगे और भुगतान उद्धृत दर पर कार्य की विशिष्ट मद के पूरा होने के आधार पर किया जाएगा। सभी भुगतान सुरक्षा जमा, आयकर और कार्य अनुबंध कर (व्यापार कर), जीएसटी, आदि की वसूली के अधीन होंगे।

33. **विलंबित भुगतान:** नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में 'प्रमाण पत्र का सम्मान करने की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में ब्याज ले जाएगा, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा भुगतान तक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।
34. खंड 2 (ए), 2 (बी), 4, 7, 12, 19 और 29 के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश प्रमाण पत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक और बाध्यकारी होगा पक्षों पर अपील के बिना। कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, खंड के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा 35 सभी मामलों में उसी तरह (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित)।
35. **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान:** किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो कि अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा

जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपेक्षित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा। लेकिन अगर नियोक्ता या ठेकेदार किसी भी मामले पर असंतुष्ट हैं, तो किसी भी अपवाद के मामले को छोड़कर किसी भी प्रकार के विवाद का सवाल है और ऐसे किसी भी मामले में या तो पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार इस तरह के किसी भी मामले में या तो पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें विवाद में मामलों पर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। लिखित नोटिस उन मामलों को निर्दिष्ट करेगा जो विवाद या अंतर में हैं जिनमें से इस तरह की लिखित सूचना दी गई है और कोई आदेश नहीं दिया जाएगा और इसके द्वारा मध्यस्थता और मध्यस्थ के अंतिम निर्णय को संदर्भित किया जाता है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति और नियुक्ति की जाती है या, एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के रूप में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक पार्टी द्वारा एक नियुक्त किया जाना है, जो मध्यस्थ खुद को बोझ लेने या संदर्भ लेने से पहले एक अंपायर नियुक्त करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय की मांग या नोटिस, पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में छोड़कर, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया गया होगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा तय किया जा सकता है या जैसा भी मामला हो सकता है पार्टियों की सहमति से) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां पारस्परिक रूप से निपटाती हैं, समझौता करते हैं या अपने विवाद या अंतर को जोड़ते हैं, मध्यस्थता का संदर्भ और मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, रद्द कर दिया गया माना जाएगा और मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से वापस ले ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी जिस दिन पार्टियां उसके निपटान का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करती हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के साथ, जैसा भी मामला हो।

इस तरह के किसी भी संदर्भ में से प्रत्येक पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए एक आकस्मिक की लागत क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगी, जैसा कि मामला हो सकता है जो इसकी राशि निर्धारित कर सकता है, या वकील और ग्राहक के बीच या पार्टी और पार्टी के बीच के रूप में कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस मामले में इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता अधिनियम (नवीनतम संशोधन) या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, अंतिम और बाध्यकारी पक्ष होंगे। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले के कारणों से कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा रहा है, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों के साथ आगे बढ़ेगा और करेगा, मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक, परिश्रम और करेगा, मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक, जैसा भी मामला हो, दिया जाता है, बैंक के निर्णय का पालन करता है और मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

36. **अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार**

नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित कार्यों की तकनीकी जांच और ठेकेदार के अंतिम बिल की जांच करने का अधिकार होगा। यदि इस परीक्षा के परिणामस्वरूप

या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

37. नियोक्ता कामगारों को दिए गए मुआवजे को कवर करने का हकदार है

यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर, या किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा। और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि से घटाकर वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा, ठेकेदार के लिखित अनुरोध को छोड़कर और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूरी सुरक्षा देने के अलावा उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसके लिए नियोक्ता हो सकता है इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी बनना।

38. कार्यों का परित्याग

यदि ई-निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे या किसी भी भाग को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

39. अधिशेष सामग्री की वापसी

इस संपर्क के किसी भी या सभी खंडों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से अनुबंध के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति और वापसी के बिना उनका निपटान नहीं करेगा यह नियोक्ता को, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर, निर्धारित की जाने वाली कीमत उसके खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें जीएसटी, बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्क, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी पैसे, लाभ या मुनाफे के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप या जो सामान्य रूप से इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप होता है।

40. ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

41. ईपीएफ और ईएसआई: ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह ईपीएफओ के साथ पंजीकृत है और उसे ईपीएफओ और ईएसआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

पता:

खंड ई: विशेष शर्तें

1. श्रमिकों को परिसर के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. काम या कामगारों के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध स्रोत से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। ठेकेदार को आपूर्ति को अपेक्षित स्थिति में ले जाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए।
3. कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति को साइट पर उपलब्ध आपूर्ति से निःशुल्क लिया जा सकता है। ठेकेदार को आपूर्ति को अपेक्षित स्थिति में ले जाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए।
4. स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर प्राप्त की जाएगी।
5. भले ही फिनिशिंग मर्दों में, पेंट/पॉलिश के कोटों की संख्या का उल्लेख किया गया है, ठेकेदार को यह ध्यान रखना होगा कि पूरे क्षेत्र को सौंपते समय शीर्ष श्रेणी में समाप्त किया जाए, जिसमें यदि आवश्यक हो, तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के पेंटिंग/पॉलिशिंग आदि का अतिरिक्त कोट शामिल है।
6. इच्छुक निविदाकर्ता किसी भी बैंक के कार्य दिवस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग, कानपुर के कार्यालय से ई-निविदा आहरण, विनिर्देशों आदि के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
7. उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबे/धूल या किसी भी अपशिष्ट को जितनी बार आवश्यक हो और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाएगा उसे साफ किया जाएगा और पूरे क्षेत्र को साफ किया जाएगा।
8. जहां भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को पूरे भुगतान किए गए बिल के सत्यापन के लिए बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए। खरीद दर को खरीदने से पहले बैंक से अनुमोदित किया जाएगा। कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। लागत अंतर पर 15% लाभ पर विचार किया जाएगा। मूल मूल्य गोदाम से बाहर हैं और इनमें जीएसटी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, चुंगी और स्थानीय प्राधिकरण/सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य सभी शुल्क शामिल नहीं हैं। उद्धृत दर में साइट के लिए परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग आदि शामिल होंगे।
9. बैंक सामग्री, कारीगरी, विवरण और खत्म के चयन पर जोर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वे मानते हैं, उपयुक्त हैं, और इच्छित उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। ठेकेदार इस खाते पर अतिरिक्त दावा करने के लिए पात्र नहीं है।
10. बैंक को खरीद/निर्माण से पहले सभी सामग्रियों, सहायक उपकरणों/फिनिश के नमूने तैयार करने के लिए ठेकेदार की आवश्यकता होगी। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्य की अस्वीकृति हो सकती है।
11. कार्य के लिए सामग्री के नमूने बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।
12. निविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि उसे भवन के किसी भी घटक को कोई नुकसान पहुंचाए बिना और मौजूदा रहने वालों को परेशान किए बिना अपने काम के हिस्से को निष्पादित करना चाहिए। इस तरह से होने वाले किसी भी नुकसान को ई-टेंडर की लागत और जोखिम पर पूरा किया जाएगा।
13. निविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि अनुसूची में प्रत्येक आइटम का वर्णन करने वाले ई-टेंडर चित्र और अन्य दस्तावेज केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और उन्हें विस्तार और फिनिश में पूर्ण नहीं माना जा सकता है। आंतरिक कार्यों के लिए ई-टेंडर होने के नाते, जिसमें उच्च मानक की अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग सहित कारीगरी और फिनिश की आवश्यकता होती है, यह उम्मीद की जाती है कि निविदाकर्ता को ई-टेंडर ड्राइंग और विनिर्देशों के इरादे को समझना चाहिए और सामग्री, कारीगरी, फिनिश और सहायक उपकरण प्रदान करना चाहिए ताकि उच्च मानकों के उत्पाद को उस कार्य को ध्यान में रखा जा सके जिसके लिए फर्नीचर का इरादा है। इस स्थिति को समझने में विफलता के लिए ठेकेदार के किसी भी दावे पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। सामग्री की गुणवत्ता, कार्य के प्रकार, कारीगरी, फिनिश आदि के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसी सामग्री, कारीगरी और फिनिश के लिए अपने ई-टेंडर में प्रदान नहीं करने के ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

14. सफल ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी सामग्री की रक्षा करें और उन्हें संतोषजनक ढंग से बैंक को अच्छी स्थिति में सौंप दें। किसी भी क्षति को सौंपते समय, खरोंच, डेंट या इस तरह के दोषों को बैंक की संतुष्टि के लिए ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निर्देशित किया जाएगा।
15. सफल निविदाकारों को उद्धृत मूल्य में, सभी संबद्ध सिविल कार्य जैसे दीवार में पीछा करना, छेद करना आदि शामिल होंगे, ग्राउटिंग आदि के बाद सतह को अच्छा बनाना होगा।
16. हर समय साफ-सुथरी हाउसकीपिंग सफल निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है, जो यह भी सुनिश्चित करेगा कि साइट से मलबे, अपशिष्ट पदार्थ आदि को अपने खर्च पर हटाया जाए और इसे नियमित आधार पर व्यवस्थित किया जाए।
- 17. सफल ठेकेदार अपनी सभी सामग्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा और आवासीय परिसर में हर समय आग से बचाव के कदम सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा, जिसमें उनके काम का हिस्सा भी शामिल है।**
18. ठेकेदारों को भी बैंक द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों के अधीन रहना पड़ता है।
- 19. यदि समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक हो तो कार्यों को विस्तारित घंटों में पूरा किया जाएगा और इस संबंध में ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं है।**

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक- I: संदर्भित पूर्व में परिशिष्ट

क)	कार्य की अनुमानित लागत	7,75,800/- (Rupees Seven lakh seventy-five thousand eight hundred only)
ख)	एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी (एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें)।	शून्य
ग)	कार्य निष्पादन बैंक गारंटी	लागू नहीं।
घ)	ई-टेंडर दस्तावेज यहां से डाउनलोड किए जा सकते हैं	http://mstcecommerce.com/eproc
च)	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान (ऑफ़लाइन)	स्थान: संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, माल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश -208001
छ)	पूर्ण बोली जमा करने की अंतिम तिथि	17 अगस्त, 2026 अपराह्न 3:00 बजे तक
ज)	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां) खोलने की तिथि और समय	17 अगस्त, 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
झ)	भाग- II (वित्तीय बोलियां) खोलने की तिथि और समय	17 अगस्त, 2026, अपराह्न 3:30 बजे से
ञ)	प्रारंभ तिथि	जैसा कि कार्य आदेश में निर्दिष्ट है।
ट)	भुगतान की शर्त	-
ठ)	ई-टेंडर की वैधता	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
ड)	उत्पन्न होने वाले सभी विवाद क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे	कानपुर
ढ)	दोष देयता अवधि	वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 1 वर्ष।
ण)	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनरिंग की तारीख से 3 महीने।
त)	प्रारंभ होने की तिथि	कार्य आदेश जारी करने या कार्य स्थल को सौंपने से जो भी पहले हो, दिन ।

थ)	पूरा होने की तिथि	75 days कार्य आदेश की तारीख से
द)	इस ई-टेंडर के संबंध में संचार के लिए व्यक्ति से संपर्क करें।	श्री भानु प्रताप सिंह (समग्र) फोन नंबर- 0512- 2304119 ईमेल- bhanupratapsingh@rbi.org.in श्री पीयूष यादव (सहायक प्रबंधक) (टेक-सिविल) फोन नंबर- 0512-2331111 ईमेल- पीयूष yadav@rbi.org.in
	परिसमापन क्षति	परिसमापन क्षति की वसूली प्रति सप्ताह अनुमानित लागत के 0.25 प्रतिशत की दर से की जाएगी और स्वीकृत ई-निविदा राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन होगी।
ध)	प्रतिधारण प्रतिशत (आर.एम.)	प्रत्येक बिल से 5%
न)	प्रतिभूति जमा की किस्त वापस की जाएगी	दोष देयता अवधि की सफल समाप्ति के बाद 100% प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी।
न)	अंतरिम प्रमाण पत्र के सम्मान की अवधि	1 महीना
प)	अंतिम प्रमाण पत्र के सम्मान की अवधि	3 महीने
फ)	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	तीन प्रतिशत प्रति वर्ष।

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: _____ स्थान: _____ संपर्क/मो. नं-

अनुलग्नक- II: ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

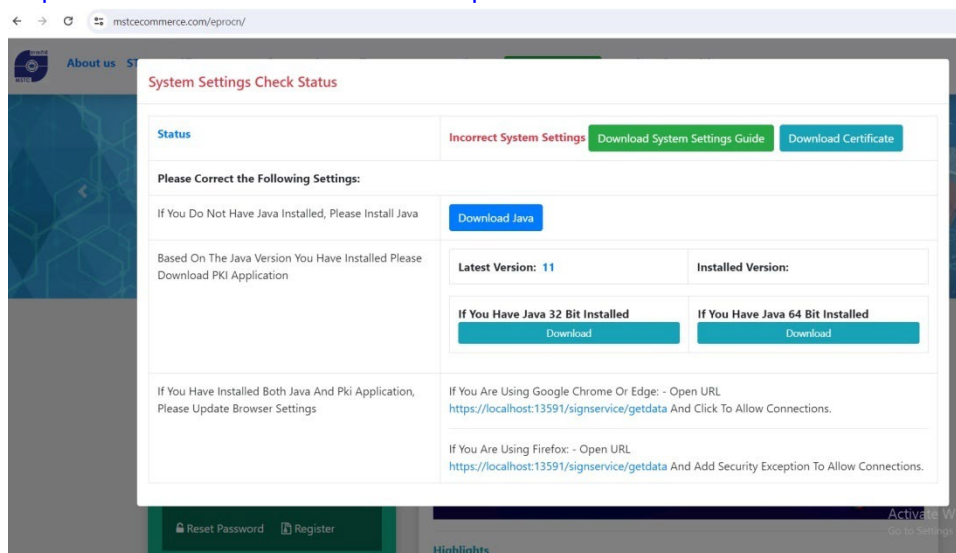
1.	ई-टेंडर की प्रक्रिया: ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को पी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। ई-टेंडर से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)। विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली होनी चाहिए केवल www.mstcecommerce.com/eproc/ पर ऑनलाइन सबमिट किया गया (संस्करण 3) 1) विक्रेताओं को खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है www.एमएसटीसीईकॉमर्स।com/eproc/ विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं विक्रेताओं को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा ई-मेल जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी के मामले में स्पष्टीकरण, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)। a) संपर्क व्यक्ति (आरबीआई कानपुर): श्री भानु प्रताप सिंह (समप्र) फोन नंबर- 0512- 2304119 ईमेल: (bhanupratapsingh@rbi.org.in) श्री पीयूष यादव (सहायक प्रबंधक, टेक-सिविल) फोन नंबर- 0512-2331111 ईमेल: (piyushyadav@rbi.org.in) b) विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी): एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए) फोन नंबर :07969066600 helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें) प्राप्यता सभी तकनीकी मुद्दों ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।
----	---

c) संपर्क व्यक्ति (MSTC)

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएँ और तदनुसार अपने क्षेत्रीय कार्यालय को अपडेट करें।

बी) सिस्टम आवश्यकता:

विवरण के लिए, विक्रेता डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का उल्लेख कर सकता है <https://www.mstcecommerce.com/eproc/>



2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

विक्रेताओं को अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के खिलाफ "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा/"इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता बिना किसी बदलाव के चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।

एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

नोट:

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।

3.	अपलोड किए गए ई-निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी ई-निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
4.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।
5.	ई-टेंडर में बोली: नोट: विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है। एक बार पुस्तकालय में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई-निविदा के खिलाफ दस्तावेज़ संलग्न करें लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-टेंडर से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें। a) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करना होगा। लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को आरबीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा। b) इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → ट्रांजेक्शन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> दस्तावेज़ संलग्न करें-> मूल्य बोली। कृपया ध्यान दें: विक्रेता लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज़ और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के खिलाफ अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। क्या यह सफल/लंबित है इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी। c) सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर

	क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए। d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। e) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। f) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा। g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार बुलाया जाएगा। h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। i) क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के। j) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करना ई-टेंडर के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। k) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।
--	---

अनुबंध- III: निविदाकारों के बैंकों का विवरण

हमारे बैंकों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	निविदाकार द्वारा भरा जाए
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	बैंक द्वारा फर्म को दी गई क्रेडिट सुविधा/ ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6	वह अवधि जब से फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है	

कृपया कैंसल चेक की स्कैन प्रति अपलोड करें।

अनुबंध- IV: बयाना जमा राशि के लिए लेनदेन विवरण

बयाना जमा राशि के लिए लेनदेन विवरण (यदि बयाना जमा राशि एनईएफटी के माध्यम से जमा की गई हो) :

क्र. सं.	आवश्यकताएँ	निविदाकार द्वारा भरा जाए
1	निविदाकार का नाम	
2	बैंक का नाम	
3	खाता संख्या	
4	आईएफएससी	
5	यूटीआर संख्या (16 अंकों की संख्या)	
6	भुगतान की तिथि	

निविदाकार का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक : _____

स्थान : _____

संपर्क सं.: _____

अनुबंध- V: अनुमोदित सामग्री की सूची

1. ग्लास	मोदी, सेंट गोबेन या कोई अन्य समतुल्य अनुमोदित मेक
2. प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड	सेंचुरी, ग्रीन प्लाई या कोई अन्य समतुल्य मेक
3. डोर हार्डवेयर फिटिंग्स	गोदरेज, हेटिच, ओज़ोन, हैरिसन, रैमसन या कोई अन्य समतुल्य अनुमोदित मेक
4. लैमिनेट	ग्रीन प्लाई, सेंचुरी या कोई अन्य समतुल्य अनुमोदित मेक

स्थान :
दिनांक :

ठेकेदार का हस्ताक्षर
कंपनी की मुहर के साथ

विनिर्देश और माप का तरीका

01. गुणवत्ता

कार्यों में शामिल की जाने वाली सभी सामग्रियां उनकी संबंधित प्रकारों की सर्वोत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए, जैसा कि यहां उल्लिखित कार्यों की प्रासंगिक मदों के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है और नियोक्ता/ इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्रोतों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की जानी चाहिए और इसके बाद निर्धारित परीक्षणों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए या, जहां सूची विनिर्देश में परीक्षण निर्धारित नहीं हैं, बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण की अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए।

02. निरीक्षण

अनुबंध की शर्तों और विशिष्टताओं में अन्यत्र उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यों में शामिल किए जाने से पहले सभी सामग्रियों का निरीक्षण कार्यस्थल या फैक्ट्री में किया जाएगा। सामग्री का उपयोग कार्यों में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।

03. सैंपल

बैंक के इंजीनियर द्वारा कार्यों में उपयोग या शामिल की जाने वाली सभी सामग्रियों के नमूने और ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का किसी भी समय परीक्षण किया जा सकता है।

04. स्वतंत्र परीक्षण

ठेकेदार को विनिर्माता से प्राप्त सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

कार्य के दायरे के अंतर्गत, बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार तैयार किए गए विनिर्देशों (मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित) के अनुरूप 'केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना' शामिल है। विनिर्देश संविदा का भाग माने जाएंगे और इन्हें अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि विनिर्देशों के पूरक के रूप में माना जाएगा।

सामग्री सर्वोत्तम अनुमोदित गुणवत्ता की होनी चाहिए और उन्हें संबंधित आईएस विनिर्देशों (बीआईएस द्वारा कवर की गई सामग्रियों के लिए) का पालन करना चाहिए। ऑर्डर देने से पहले सभी सामग्रियों के नमूने स्वीकृत कराए जाने चाहिए और स्वीकृत नमूना बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

सामग्री

1. मीट्रिक आकार में सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में, एफपीएस इकाइयों में निकटतम आकार इंजीनियर की पूर्व स्वीकृति के साथ प्रदान किया जाएगा जिसके लिए न तो अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और न ही किसी प्रकार के छूट की वसूली की जाएगी।

2. यदि नियोक्ता द्वारा मांग की जाती है तो ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि विनिर्माता या सामग्री आपूर्तिकर्ता से इस आशय का परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके सामग्रियों का उपयोग करके नियोक्ता की सिफारिशों के अनुसार काम किया गया है।

3. किसी भी सामग्री का परीक्षण बैंक द्वारा अनुमोदित लैब में किया जाएगा, जिसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी और मूल परीक्षण परिणाम बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे। इन परीक्षणों के लिए रसीद/चालान प्रस्तुत करने पर परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।
4. नियोक्ता/ किसी अन्य विशेषज्ञ फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को ठीक से संग्रहित किया जाएगा और ठेकेदार कार्य पूरा होने तक या जब तक कि कार्य के लिए उनकी आवश्यकता नहीं होती, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
5. जब तक कि रेखाचित्रों पर अन्यथा न दिखाया गया हो या मात्रा या विशेष शर्तों की अनुसूची में उल्लेख न किया गया हो, सामग्री की गुणवत्ता, कार्य के आयाम आदि वैसे ही रहेंगे, जैसा कि यहां नीचे निर्दिष्ट किया गया है।
6. सामग्री पर फील्ड परीक्षण करने के लिए सभी उपकरण और सुविधाएं ठेकेदारों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान की जाएंगी।

**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर**

(मात्राओं का अप्रयुक्त बिल)

केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना

**के लिए
ई-निविदा**

आरबीआई/कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/5/26-27/ET/211

इन्हें जारी किया गया : _____

प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : 17 अगस्त 2026 को सायं 03:00 बजे तक

**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर**

मात्राओं की अनुसूची

केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना

प्रस्तावना:

1. यह कार्य केएनएसक्यू आरबीआई, कानपुर में किया जाएगा। ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे अपना टेंडर जमा करने से पहले कार्य के दायरे, काम करने की स्थिति और कार्य के बारे में सभी आवश्यक जानकारी से परिचित होने के लिए कार्यस्थल का निरीक्षण करें।
2. उद्धृत दरें इस आधार पर किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना, सभी लीड और लिफ्ट पर लागू होनी चाहिए।
3. यह कार्य प्रभारी इंजीनियर के परामर्श से और किसी अन्य एजेंसी, यदि कोई हो, के साथ आपसी समन्वय से किया जाएगा।
4. ठेकेदार कार्य की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक तैनात करेगा जो बैंक के इंजीनियर से काम के बारे में निर्देश लेगा।
5. **मूल दर मदों के लिए मूल्य समायोजन:** मूल्य समायोजन केवल मापी गई वास्तविक मात्रा के लिए किया जाएगा, कोई अपव्यय नहीं माना जाएगा। मूल्य समायोजन सामान्य परिस्थितियों और विशेष निर्देशों में मूल्य समायोजन के लिए धारा 'डी' के खंड संख्या 18 के अनुसार किया जाएगा।
6. निविदा में कुछ मदों के तहत मूल दर का उल्लेख किए बिना जहां भी अनुमोदित मेक और उत्पाद कोड का उल्लेख किया गया है, ठेकेदारों को केवल मेक एवं कोड के लिए दरों को उद्धृत करना होगा। यदि कार्य के निष्पादन के दौरान बैंक द्वारा कोई परिवर्तन शामिल किया जाता है, तो निर्धारित उत्पाद के एम.आर.पी. और उत्पाद के उपयोग किए गए एम.आर.पी. में अंतर को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार के लाभ और ओवरहेड्स (सकारात्मक या नकारात्मक) के लिए इस अंतर का 15% (पंद्रह प्रतिशत) जोड़कर इन सामग्रियों के लिए मूल्य समायोजन प्रभावित होंगे। ठेकेदार को इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
7. एमआरपी से ऊपर और अधिक कार्टेज, लोडिंग, अनलोडिंग, अपव्यय, कर, शुल्क आदि को मूल्य समायोजन के लिए नहीं माना जाएगा।
8. जहां भी निविदा मदों में सामग्री की मूल दर का उल्लेख किया गया है, उसमें जीएसटी और मूल दर शामिल नहीं है और वास्तविक अनुमोदित खरीद मूल्य (जीएसटी और अन्य करों और शुल्कों को छोड़कर, जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए हैं, और ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया है), साथ ही ठेकेदार के लाभ और ओवरहेड्स के लिए इस अंतर का 15% (पंद्रह प्रतिशत) मूल्य समायोजन (सकारात्मक या नकारात्मक) के लिए माना जाएगा। ठेकेदार को इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
9. कार्टेज, लोडिंग, अनलोडिंग, अपव्यय आदि को मूल्य समायोजन के लिए नहीं माना जाएगा।
10. उद्धृत दरों में कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, श्रम, अपशिष्ट, परिवहन, मचान, उपकरण और संयंत्रों की लागत शामिल होनी चाहिए।
11. यह कार्य सामान्यतः सुबह 8.00 से शाम 6.00 बजे के बीच किया जाएगा। हालांकि, आपसी सहमति से सामान्य कार्य समय से अधिक समय तक काम किया जा सकता है लेकिन इस कारण से किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। **ठेकेदार को श्रम कानूनों के अनुसार अधिकतम घंटों से अधिक काम के**

लिए उचित मुआवजा देना चाहिए और दरें भरते समय ठेकेदार द्वारा विस्तारित कार्य समय सुनिश्चित करना चाहिए।

12. सफल निविदाकार को बड़े पैमाने पर काम शुरू करने से पहले प्रत्येक कार्य के लिए सामग्री के नमूनों की व्यवस्था बैंक से अनुमोदन लेने से पहले करनी होगी। नमूनों की व्यवस्था करने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके द्वारा बैंक की सलाह के अनुसार बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के नमूने में बदलाव करना अपेक्षित होगा। नमूनों की मंजूरी के बाद ही बड़े पैमाने पर कार्य आरंभ करने की अनुमति दी जाएगी।
13. ठेकेदार कार्य से उत्पन्न मलबे को बार-बार अंतराल पर या बैंकों के परिसर से प्राथमिकता के आधार पर निर्देशानुसार उठाने की व्यवस्था करेगा अन्यथा प्रतिदिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

तकनीकी विनिर्देश

कार्य का दायरा : -

केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना

सामग्री और कारीगरी : -

इस संविदा के अंतर्गत ठेकेदार, उत्तम श्रेणी की सामग्रियों के उपयोग हेतु बाध्य है। कार्य की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की होनी चाहिए जो परियोजना की प्रकृति के अनुरूप हो। मानक के अनुसार नहीं पाए जाने वाले सभी कार्यों को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा और ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण कार्य को नष्ट करने और अपने जोखिम पर फिर से कार्य करने की आवश्यकता होगी। कारीगरी की गुणवत्ता/ मानक के संबंध में वास्तुकार/ नियोक्ता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

सामग्री: -

सामग्री का तकनीकी विनिर्देश निविदा के भाग II में उल्लिखित मात्राओं की अनुसूची में दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार हों और जहां भी लागू हो, आवश्यक परीक्षण प्रमाण पत्र बैंक की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किए जाएं।

ठेकेदार का नाम और हस्ताक्षर :

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर :

दिनांक :

स्थान :

भारतीय रिज़र्व बैंक			
संपदा विभाग			
कानपुर			
मात्राओं की अनुसूची			
कार्य का नाम: - केएनएसक्यू, आरबीआई कानपुर के 08 फ्लैटों में फ्लश डोर प्रदान करना और लगाना			
मद सं.	विवरण	इकाई	मात्रा
निविदा मद सं.1.	दरवाजे से संबंधित कार्य : 32 मिमी मोटाई के बीडब्ल्यूपी ग्रेड के प्रीमियम क्वालिटी फैक्ट्री मेड ब्लॉकबोर्ड डोर, जो आईएस 2202 भाग 1 (2023) के अनुरूप हो और अनुमोदित गुणवत्ता, ब्रांड, विनिर्माता (जैसे ग्रीन प्लाई का एकोटेक प्लैटिनम, सेंचुरी या अन्य अनुमोदित समतुल्य का बॉन्ड डोर), जिस पर न्यूनतम 15 साल की वारंटी हो और सिंगल लीफ फ्लैश डोर शटर हो, जिसके लगभग दोनों ओर अनुमोदित मेक, रंग, शेड, डिजाइन, पैटर्न (जैसे ग्रीन, सेंचुरी या अन्य अनुमोदित समतुल्य) के 1.0 मिमी मोटे लैमिनेट के साथ फिनिश किए गए लगभग 0.78 मिमी x 2.01 मिमी आकार के कॉमर्शियल फिनिश हो तथा 32 मिमी चौड़ी और 6 मिमी मोटी पॉलिश की हुई द्वितीय श्रेणी की सागौन की लकड़ी की लिपिंग परत के साथ सभी आवश्यक स्कू के साथ बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशानुसार पूर्ण किए जाएं। दरों में न्यूनतम 4, 125x12x5 मिमी लंबे हेवी क्वालिटी बीयरिंग टाइप एसएस बट हिंजेज़ (गोदरेज़ - 4366), एसएस डोर स्टॉपर (गोदरेज़-9467), डोर बफर, 8 इंच एसएस टावर बोल्ड्स -1 सं. (गोदरेज़ -3262), 10 इंच एसएस एल्यूॉप - 2 सं. (गोदरेज़ - 2283), 8-10 इंच एसएस हैंडल-2 सं, आदि, ग्रूव्स बनाना, स्कू, कांटी, लैमिनेट फिक्सिंग के लिए ऐडहेसिव, लकड़ी के स्टड, लकड़ी की बीडिंग, सभी आवश्यक फिक्सिंग व्यवस्था आदि, बैंक के अनुमोदन के अनुसार प्रदान करना और फिक्स करना शामिल होगा तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देशों एवं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण किए जाएं। नोट: 1. दरों के अंतर्गत मुख्य दरवाजे पर अनुमोदित गुणवत्ता, ब्रांड/ विनिर्माता के डोर आई/ पीपहोल फिक्स करना शामिल होगा - प्रति फ्लैट 2 सं.। 2. लैमिनेट की मूल कीमत रु.400/- प्रति वर्ग मीटर होगी। (जीएसटी छोड़कर) 3. प्रदान किए जाने वाले हार्डवेयर, बैंक के अनुमोदन के अनुसार होने चाहिए। 4. ऊपर उल्लिखित सभी आकार अनुमानित हैं। सैंपल डोर/ लकड़ी के फ्रेम कॉलनी में पहले से ही लगाए गए हैं। कोई भी दर उद्धृत करने से पजले कुछ विनिर्देश, आकार तथा दरवाजे के डिजाइन के लिए कार्यस्थल का दौरा कर लेना चाहिए तथा तथा वर्तमान दरवाजों के डिजाइन के साथ एकरूपता होनी	सं.	46.00

निविदा मद सं.2.	दरवाजे से संबंधित कार्य : 32 मिमी मोटाई के बीडब्ल्यूपी ग्रेड के प्रीमियम क्वालिटी फैक्ट्री मेड ब्लॉकबोर्ड डोर, जो आईएस 2202 भाग 1 (2023) के अनुरूप हो और अनुमोदित गुणवत्ता, ब्रांड, विनिर्माता (जैसे ग्रीन प्लाई का एकोटेक प्लैटिनम, सेंचुरी या अन्य अनुमोदित समतुल्य का बॉन्ड डोर), जिस पर न्यूनतम 15 साल की वारंटी हो और सिंगल लीफ प्लैश डोर शटर हो, जिसके लगभग दोनों ओर अनुमोदित मेक, रंग, शेड, डिजाइन, पैटर्न (जैसे ग्रीन, सेंचुरी या अन्य अनुमोदित समतुल्य) के 1.0 मिमी मोटे लैमिनेट के साथ फिनिश किए गए लगभग 0.68 मिमी x 2.01 मिमी आकार के कॉमर्शियल फिनिश हो तथा 32 मिमी चौड़ी और 6 मिमी मोटी पॉलिश की हुई द्वितीय श्रेणी की सागौन की लकड़ी की लिपिंग परत के साथ सभी आवश्यक स्कू के साथ बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशानुसार पूर्ण किए जाएं। दरों में न्यूनतम 4, 125x12x5 मिमी लंबे हेवी क्वालिटी बीयरिंग टाइप एसएस बट हिंजेज (गोदरेज - 4366), डोर बफर, 8 इंच एसएस टावर बोल्ट्स -1 सं. (गोदरेज -3262), 8 इंच एसएस एल्ट्रॉप - 1 सं. (गोदरेज - 2284), 8-10 इंच एसएस हैंडल-2 सं, आदि, ग्रूव्स बनाना, स्कू, कांटी, लैमिनेट फिक्सिंग के लिए ऐडहेसिव, लकड़ी के स्टड, लकड़ी की बीडिंग, सभी आवश्यक फिक्सिंग व्यवस्था आदि, बैंक के अनुमोदन के अनुसार प्रदान करना और फिक्स करना शामिल होगा तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देशों एवं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण किए जाएं। नोट: - 1. लैमिनेट की मूल दर रु. 400/- प्रति वर्ग मीटर है। (जीएसटी को छोड़कर) 2. प्रदान किया जाने वाला हार्डवेयर केवल बैंक की मंजूरी के अनुसार होगा। 3. ऊपर उल्लिखित सभी माप अनुमानित हैं।	सं.	8.00
निविदा मद सं.3.	दरवाजे से संबंधित कार्य : 32 मिमी मोटाई के बीडब्ल्यूपी ग्रेड के प्रीमियम क्वालिटी फैक्ट्री मेड ब्लॉकबोर्ड डोर, जो आईएस 2202 भाग 1 (2023) के अनुरूप हो और अनुमोदित गुणवत्ता, ब्रांड, विनिर्माता (जैसे ग्रीन प्लाई का एकोटेक प्लैटिनम, सेंचुरी या अन्य अनुमोदित समतुल्य का बॉन्ड डोर), जिस पर न्यूनतम 15 साल की वारंटी हो और सिंगल लीफ प्लैश डोर शटर हो, जिसके लगभग दोनों ओर अनुमोदित मेक, रंग, शेड, डिजाइन, पैटर्न (जैसे ग्रीन, सेंचुरी या अन्य अनुमोदित समतुल्य) के 1.0 मिमी मोटे लैमिनेट के साथ फिनिश किए गए लगभग 0.68 मिमी x 2.01 मिमी आकार के कॉमर्शियल फिनिश हो तथा 32 मिमी चौड़ी और 6 मिमी मोटी पॉलिश की हुई द्वितीय श्रेणी की सागौन की लकड़ी की लिपिंग परत के साथ सभी आवश्यक स्कू के साथ बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशानुसार पूर्ण किए जाएं। दरों में न्यूनतम 4, 125x12x5 मिमी लंबे हेवी क्वालिटी बीयरिंग टाइप एसएस बट हिंजेज (गोदरेज - 4366), डोर बफर - 2 सं., 8 इंच एसएस टावर बोल्ट्स -1 सं. (गोदरेज -3262), 8 इंच एसएस एल्ट्रॉप - 2 सं. (गोदरेज - 2284), 8-10 इंच एसएस हैंडल-4 सं, आदि, ग्रूव्स बनाना, स्कू, कांटी, लैमिनेट फिक्सिंग के लिए ऐडहेसिव, लकड़ी के स्टड, लकड़ी की बीडिंग, सभी आवश्यक फिक्सिंग व्यवस्था आदि, बैंक के अनुमोदन के अनुसार प्रदान करना और फिक्स करना शामिल होगा तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देशों एवं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण किए जाएं। नोट: -	सं.	8.00

	1. लैमिनेट की मूल दर रु. 400/- प्रति वर्ग मीटर है। (जीएसटी को छोड़कर) 2. प्रदान किया जाने वाला हार्डवेयर केवल बैंक की मंजूरी के अनुसार होगा। 3. ऊपर उल्लिखित सभी माप अनुमानित हैं।		
निविदा मद सं.4.	कार्यस्थल की स्थिति के अनुसार वर्तमान आउटर डोर फ्रेम के ऊपर आईएस 710 के अनुसार 6-12 मिमी मोटा बीडब्ल्यूपी प्लाई देना और लगाना ताकि अनुमोदित मेक, रंग, शेड, डिजाइन, पैटर्न (जैसे – सेंचुरी, ग्रीन आदि) के डोर फ्रेम (छूट सहित) के चारों ओर 1.0 मिमी मोटा लैमिनेट लगाए जाने के लिए समान और लेवल किया हुआ सतह प्रदान किया जा सके। दरों के अंतर्गत बालकनी से वर्तमान मोस्किटो वायर मेश डोर (2 सं.) और 6-12 मिमी प्लाई के ऊपर 1 मिमी लैमिनेट लगाना तथा समान आकार के मोस्किटो वायर मेश डोर फिर से लगाने के लिए रिबेट का समायोजन करना शामिल होगा। दर के अंतर्गत जहां भी आवश्यक हो, 6-12 मिमी बीडब्ल्यूपी प्लाई का उपयोग करके वर्तमान डोर फ्रेम की किसी प्रकार की मरम्मत करना और दीवार के जंक्शन के दोनों ओर और डोर फ्रेम के चारों ओर, 20X20 मिमी के आकार के पोलिशड टीकवुड बीडिंग प्रदान करना शामिल होगा। डोर फ्रेम का अनुमानित आकार, सिंगल रिबेट के साथ 70X125 मिमी होगा तथा कई स्थानों पर डबल रिबेट के साथ 80X150 मिमी होगा। उद्धृत किए जाने वाले दर, प्रति डोर फ्रेम के अनुसार होने चाहिए। डोर फ्रेम का आकार निर्धारित करने हेतु प्रति फ्लैट दरवाजों का विवरण नीचे दिया गया है : 1. किचन का दरवाजा -0.75x2.01 मी(लगभग) -01 सं. 2. बालकनी का दरवाजा – डबल रिबेट के साथ 0.78x2.01 मी(लगभग)-02 सं. 3. रूम का दरवाजा – सिंगल रिबेट के साथ 0.78x2.01 मी(लगभग) -02 सं. 4. बाथरूम और डब्ल्यूसी- सिंगल रिबेट के साथ 0.68X2.01 मी(लगभग) -02 सं. नोट: 1. यदि दरवाजे को लगाने के दौरान किसी प्रकार की क्षति हुई है, तो दरों के नतर्गत बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार वर्तमान दीवार की मरम्मत करना भी शामिल है। 2. लैमिनेट की मूल दर रु. 400/- प्रति वर्ग मीटर है। (जीएसटी को छोड़कर) 3. प्रदान किया जाने वाला हार्डवेयर केवल बैंक की मंजूरी के अनुसार होगा। 4. ऊपर उल्लिखित सभी माप अनुमानित हैं। 5. सैंपल डोर/ वुडेन फ्रेम कोलनी में पहले से ही लगाए गए हैं। दरें उद्धृत करने से पहले, दरवाजे से संबंधित विनिर्देशों, माप और डिजाइन ज्ञात कर लिया जाए तथा वर्तमान दरवाजों के डिजाइन में समानता बनाए रखना अनिवार्य है।	सं.	56.00

निविदा मद सं.5.	कार्यस्थल की स्थिति के अनुसार वर्तमान आउटर डोर फ्रेम के ऊपर आईएस 710 के अनुसार 6-12 मिमी मोटा बीडब्ल्यूपी प्लाई देना और लगाना ताकि अनुमोदित मेक, रंग, शेड, डिजाइन, पैटर्न (जैसे – सेंचुरी, ग्रीन आदि) के डोर फ्रेम (छूट सहित) के चारों ओर 1.0 मिमी मोटा लैमिनेट लगाए जाने के लिए समान और लेवल किया हुआ सतह प्रदान किया जा सके तथा दोनों मुख्य दरवाजों के सामने सभी ओर से (तीनों ओर से) 1 मिमी लैमिनेट से आईएस 710 प्लाई के अनुसार 9 मिमी मोटे बीडब्ल्यूपी से फिनिश किए गए 125 मिमी चौड़ा बॉर्डर देना। दरों के अंतर्गत बालकनी से वर्तमान मोस्किटो वायर मेश डोर (2 सं.) और 6-12 मिमी प्लाई के ऊपर 1 मिमी लैमिनेट लगाना तथा समान आकार के मोस्किटो वायर मेश डोर फिर से लगाने के लिए रिबेट का समायोजन करना शामिल होगा। दर के अंतर्गत जहां भी आवश्यक हो, 6-12 मिमी बीडब्ल्यूपी प्लाई का उपयोग करके वर्तमान डोर फ्रेम की किसी प्रकार की मरम्मत करना और दीवार के जंक्शन के दोनों ओर और डोर फ्रेम के चारों ओर, 20X20 मिमी के आकार के पोलिशड टीकवुड बीडिंग प्रदान करना शामिल होगा। डोर फ्रेम का अनुमानित आकार, सिंगल रिबेट के साथ 70X125 मिमी होगा तथा कई स्थानों पर डबल रिबेट के साथ 80X150 मिमी होगा। मुख्य दरवाजे का आकार डबल रिबेट के साथ लगभग 0.78x2.01 मी. है। नोट: 1. यदि दरवाजे को लगाने के दौरान किसी प्रकार की क्षति हुई है, तो दरों के नतर्गत बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार वर्तमान दीवार की मरम्मत करना भी शामिल है। 2. लैमिनेट की मूल दर रु. 400/- प्रति वर्ग मीटर है। (जीएसटी को छोड़कर) 3. प्रदान किया जाने वाला हार्डवेयर केवल बैंक की मंजूरी के अनुसार होगा। 4. ऊपर उल्लिखित सभी माप अनुमानित हैं। 5. सैंपल डोर/ वुडेन फ्रेम कोलनी में पहले से ही लगाए गए हैं। दरें उद्धृत करने से पहले दरवाजे से संबंधित विनिर्देशों, माप और डिजाइन ज्ञात कर लिया जाए तथा वर्तमान दरवाजों के डिजाइन में समानता बनाए रखना अनिवार्य है।	सं.	14.00
निविदा मद सं.6.	सभी हार्डवेयर के साथ वर्तमान लकड़ी के दरवाजे को ले जाने के लिए छूट।	सं.	72.00

सील के साथ निविदाकार का हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

मुख्य दरवाजे का सामने का भाग



मुख्य दरवाजे का पीछे का भाग



बालकनी के दरवाजे का आंतरिक भाग



बालकनी के दरवाजे का बाहरी भाग

